



2026:AHC:40735

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 2673/2026

मदन लाल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राम चन्द्र श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम चंद्र श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।

2. विद्वान राज्य सरकार के अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने यह कथन दिया है कि वह निर्देश से सुपरिचित हैं तथा मामले में तर्क प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं। वह कोई प्रति-शपथ पत्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।

3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।

4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी मेठ के पद पर दिनांक 27.12.1986 को हुई थी और तत्पश्चात उसकी सेवाएँ दिनांक 01.04.2005 पर नियमित हो गईं और दिनांक 31.03.2017 को, वह वयोवृद्ध हो गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, अब प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 16.01.2026, 01.01.2026 एवं 23.12.2025 के आदेश पारित किए गए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने एक एकपक्षीय निर्णय लिया है कि रिट याचिकाकर्ता नई पेंशन योजना (न्यू पेंशन स्कीम) के परिप्रेक्ष्य में पेंशन का अधिकारी नहीं है, जो दिनांक 01.04.2005 को प्रभावी हुई, तथा रुपये 13,88,770/- की राशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया।

5. उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जो वसूली रिट याचिकाकर्ता से किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे इस साधारण कारण से वैध नहीं कहा जा सकता है कि रिट याचिकाकर्ता को नियमितीकरण के पश्चात

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पेंशन का भुगतान किया जा रहा था और अब, प्रतिवादियों के लिए रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करना अनुमेय नहीं है।

7. दूसरी ओर, विद्वान अधिशासी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह प्रस्तुत करते हैं कि जो भी हो, यदि यह रिट याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसे नहीं सुना गया, तो उस संबंध में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुना जाएगा।

8. न्यायाधीश पीठ के समक्ष इस प्रकार किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया है और उसे नहीं सुना गया है, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है:-

(क) रिट याचिकाकर्ता दिनांक 13.03.2026 तक प्रतिवादी संख्या 2, कार्यकारी अभियंता, निर्माण प्रभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रभाग चंदौली, जिला चंदौली के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति एवं आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करेगा।

(ख) उक्त प्रार्थना पर, प्रतिवादी संख्या 2 उसके पश्चात 15 दिनों की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और रिट याचिकाकर्ता उसके पश्चात 15 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा और तत्पश्चात, दो माह की अवधि के भीतर, अर्थात् दिनांक 15.05.2026 तक एक अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. दिनांक 15.05.2026 तक, या आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, विवादित आदेश के अनुपालन में रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई वसूली नहीं की जाएगी।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

24 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”